कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की

पत्रांक –01 / प्र0ख0 / निष्प्रयोज्य वाहन / नीलामी दिनांकः–

नीलामी की सूचना

अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की द्वारा महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन की ओर से निम्नलिखित निष्प्रोज्य घोषित वाहनों की नीलामी हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जाती है। निष्प्रयोज्य वाहन दिनांक 22.10.2021(शुक्रवार) को सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की कार्यशाला परिसर में पूर्वान्ह 11.00 बजे जहाँ है, जैसा है, के आधार पर नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित स्थान एंव समय पर बोली में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किये जाते है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एंव आवश्यक नियम एंव शर्ते संस्थान की website www.iriroorkee.res.in. से डाउनलोड कर सकते है अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में प्रस्तुत होकर धनराशि रू0 200.00 मात्र जमा कराने के उपरान्त प्राप्त कर सकते है।

क्र0सं0	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	धरोहर राशि (जी0एस0टी0 सहित)
1	जीप (डीजल चलित) माडल–1988	यू0एम0यू0–8590	रू0 4000+720=4720
2	एम्बेस्डर कार (पैट्रोल चलित) माडल–2004	यू0ए0–07 एच0–0985	रू0 2300+414=2714
3	एम्बेस्डर कार (पैट्रोल चलित) माडल–1992	यू0पी0–10–ए–3159	रू0 2300+414=2714
4	जीप (डीजल चलित) माडल–1982	यू0आर0एफ0–8065	रू0 4000+720=4720

CRoP 22/09

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड

Annexure-1

नियम एंव शर्तेः–

1. नीलाम किये जाने वाले वाहनों का निरीक्षण नीलामी सूचना प्रकाशित होने के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व (पहले) तक प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक किये जा सकते है।
2. प्रत्येक वाहन की बोली पृथक–पृथक दी जायेगी।
3. वाहन जैसा है, जहॉ है, के आधार पर नीलाम किया जायेगा तथा नीलामी के बाद उसी स्थान से उठाया जायेगा।
4. बोली बोलने वाले व्यक्ति को राजकीय वाहन की नीलामी शर्ते जो भी विभाग द्वारा निश्चित की जायेगी का पालन करना होगा।
5. अधिकतम बोली की राशि पर बोलीदाता को जी0एस0टी0 अलग से देना होगा।
6. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी की तिथि से एक दिवस पूर्व तक धरोहर राशि प्रातः 10.00 बजे से सांयः 04.00 बजे तक नकद जमा करनी होगी। उसके उपरान्त किसी भी बोलीदाता की धरोहर राशि जमा नही की जायेगी। साथ ही पहचान के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति देनी होगी।
7. अधिकतम बोलीदाता की धरोहर राशि को समायोजित करते हुए बोली की राशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली छूटने के बाद तुरन्त जमा करनी होगी। बोलीदाता द्वारा यदि 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असमर्थ रहता है उसके बाद द्वितीय अधिकतम बोलीदाता से धनराशि जमा करायी जायेगी तथा यदि द्वितीय अधिकतम बोलीदाता द्वारा भी धनराशि जमा कराने में असमर्थता होती है तो, द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी। नीलामी की शेष राशि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त 7 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
8. नीलामी की स्वीकृति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा यदि कतिपय कारणों से प्रदान नही किया जाता है अथवा बिलम्ब से प्रदान करने पर बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि पर कोई ब्याज का क्लेम मान्य नही होगा।
9. बिना कारण बताये नीलामी अथवा किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति में सुरक्षित रहेगा।
10. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी विवाद का दावा माननीय न्यायालय जनपद हरिद्वार के क्षेत्र मे ही मान्य होगा।
11. सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त वाहन की न्यूनतम बोली धनराशि निम्नवत निर्धारित की गयी है–

<u>संदर्भित वाहनों की न्यूनतम बोली की धनराशि</u>

क0 सं0	वाहन संख्या तथा मेक एंव माडल	न्यूनतम मूल्य	वाहन का स्थान
01	जीप (डीजल चलित) माडल–1988	80,150.00	कार्यशाला, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
02	एम्बेस्डर कार (पैट्रोल चलित) माडल–2004	46,400.00	कार्यशाला, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
03	एम्बेस्डर कार (पैट्रोल चलित) माडल–1992	46,400.00	कार्यशाला, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
04	जीप (डीजल चलित) माडल–1982	80,150.00	कार्यशाला, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड